चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 22.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों को 73 अदद अवैध देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी मय हमराह आरक्षी संतोष सिंह थाना मानिकपुर द्वारा अभियुक्त शिवबरन यादव पुत्र चुनकावन यादव निवासी निही भाटापुरवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 21 अदद अवैध देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री करन सिंह मय हमराह आरक्षी पवन यादव थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र महारजवा प्रजापति उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 19 अदद देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी सौरभ कुमार व आरक्षी दीपक सिंह थाना पहाडी चित्रकूट द्वारा अभियुक्त करन सिंह पुत्र स्व0 कंचन सिंह निवासी महराजपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को 18 अदद देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iv). उ0नि0 श्री अमरेशचन्द्र थाना बरगढ़ द्वारा अभियुक्त सोनू खां पुत्र बन्नू खां निवासी करवा थाना बरगढ जनपद चित्रकूट को 15 अदद देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जटाशंकर शुक्ला मय हमराह आरक्षी अखिलेश सिंह यादव व मुख्य आरक्षी नीतेश सचान व आरक्षी चालक पवन यादव थाना रैपुरा द्वारा अ0सं0 39/2010 मु0अ0सं0 131/2019 धारा 325,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.रामधनी पुत्र बड़कूपाल उम्र 45 वर्ष 2.अवधेश पुत्र बड़कूपाल उम्र करीब 38 वर्ष निवासी गड़रियनपुरवा मजरा बगरेही थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात उम्र करीब 40 वर्ष जिसने काला शर्ट नीचे धारीदार सफेद बनियान व सादरी गोल्डन कलर की चेकदार हल्का ग्रे कलर की पेंट पहना है जो दिनाक 21/02/2026 समय करीब 8.30 बजे रात्रि संयुक्त जिला चिकित्सालय गेट के सामने आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान पाया कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु ऊपर से गिरने के आई चोट के कारण हुई है यदि इस व्यक्ति के संबंध में किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो तो निम्न नंबर पर सूचित करने की कष्ट करे।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी चित्रकूट 9454403205
चौकी प्रभारी जिला अस्पताल सोनेपुर कर्वी चित्रकूट 7417459845